

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2022

विषय: निर्माण कार्यों के परियोजनाओं में जी०एस०टी० की संशोधित दरें लागू करने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के पत्र संख्या-ई-8-292/दस-2022, दिनांक 13.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन की स्थिति में जी०एस०टी० की समय-समय पर प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने के दिनांक से लागू करते हुए जी०एस०टी० की गणना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- प्रकरण में जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत के पुनरीक्षण के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार एवं दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय


(लाल धीरेन्द्र राव)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2022

विषय: निर्माण कार्यों के परियोजनाओं में जी०एस०टी० की संशोधित दरें लागू करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के पत्र संख्या-ई-8-292/दस-2022, दिनांक 13.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन की स्थिति में जी०एस०टी० की समय-समय पर प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने के दिनांक से लागू करते हुए जी०एस०टी० की गणना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- प्रकरण में जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत के पुनरीक्षण के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार एवं दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1231/शाह-1-2022

शीर्ष प्राथमिकता / फ़ैक्स
संख्या-ई-8-292 / दस-2022

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव /
प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक: 13 सितम्बर, 2022

विषय:- निर्माण कार्यों के परियोजनाओं में जी०एस०टी० की संशोधित दरें लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाओं का मूल्यांकन तत्समय प्रचलित जी०एस०टी० की दरों पर किया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन की स्थिति में जी०एस०टी० की समय-समय पर प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने की दिनांक से लागू करते हुए जी०एस०टी० की गणना सुनिश्चित की जाय।

3. जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक: 13 सितम्बर, 2022

विषय:- निर्माण कार्यों के परियोजनाओं में जी०एस०टी० की संशोधित दरें लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाओं का मूल्यांकन तत्समय प्रचलित जी०एस०टी० की दरों पर किया जाता है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन की स्थिति में जी०एस०टी० की समय-समय पर प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने की दिनांक से लागू करते हुए जी०एस०टी० की गणना सुनिश्चित की जाय।

3. जी०एस०टी० की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।

55/31

नितिन रमेश गौड़
13/9/22
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन